

D-107.

जप्ती पत्रकथाना-ईओडब्ल्यू/एसीबी रायपुर

अप.कं. 09/15 धारा- 13 (1)डी, 13(2)

पीसीएक्ट 1988 एवं धारा 109, 120-बी, भा.द.वि.

दिनांक व समय जप्ती

- 27.03.2015 के प्रातः 16.00 बजे

जप्ती स्थान

- सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि. जिला
कार्यालय सूरजपुर।

जिसके द्वारा पेश किया गया

- श्री व्ही.के. सेठ पिता श्री एच.एल. सेठ उम्र 55 वर्ष,
जिला प्रबंधक सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि.
जिला सूरजपुर

जप्तकर्ता अधिकारी

- निरीक्षक अजितेश सिंह एन्टी करप्शन ब्यूरो
कार्यालय बिलासपुर छ.ग.

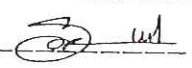
जप्ती साक्षी

- (1) श्री एस.के. भाभोर पिता स्व. श्री कालूभाई
भाभोर उम्र 41 वर्ष, प्रबंधक गुण नियंत्रक एफ.
सी.आई. जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा छ.ग.।
(2) श्री एस.पी. महतो पिता श्री जगन्नाथ महतो
उम्र 30 वर्ष, तकनीकी सहायक ग्रेड-3, एफ.
सी.आई. जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा छ.ग.।विवरण

आज दिनांक 27.03.2015 को उक्त समय सदर स्थान पर सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि. जिला सूरजपुर के जिला प्रबंधक श्री व्ही.के. सेठ के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर उक्त साक्षियों के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेजों की जप्ती की गई।

1. जिला प्रबंधक छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि. जिला सूरजपुर का आदेश क्रमांक स्था/2014-15/710 सूरजपुर दिनांक 3.9.2014 की सत्यापित छायाप्रति 01 पन्ना जिसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री योगेश गुप्ता को जिले के प्रदाय/उपार्जन केन्द्र प्रतापपुर अधीनस्थ गोदामों में भण्डारित स्कंधों के फ्यूमिगेशन, कीटोपचार संबंधी कार्यों के निष्पादन तथा विकेन्द्रीकृत उपार्जन कार्य के संपादन हेतु आदेशित किया गया है।
2. जिला प्रबंधक छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि. जिला सूरजपुर का आदेश क्रमांक स्था/2013-14/774 सूरजपुर दिनांक 26.9.2013 की सत्यापित छायाप्रति 01 पन्ना जिसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री विशाल सिन्हा को जिले के प्रदाय केन्द्र सूरजपुर में उपार्जन कार्य के अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजनांतर्गत समस्त कार्यों के संपादन हेतु आदेशित किया गया है।

हस्ताक्षर साक्षी

(1) 
(2) 

हस्ताक्षर

जिसके द्वारा पेश किया गया

हस्ताक्षर

जप्तकर्ता

(एस.डी.देवरथल)
निरीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू/ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)